

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1792

दिनांक 12/12/2021

प्रार्थनी :-

1.पूरोंदेवी पत्नि जीयाराम
जाति जाट,
निवासी ताजाणियों का तला (कापराऊ)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.खमीशा पुत्र सुमार 2.तिडी पत्नि भंवरा,
जाति भील निवासी कापराऊ
3.सगरा पुत्र भीखा 4.पदमाराम पुत्र भीखाराम
जाति जाट, निवासी ताजाणियों का तला
(कापराऊ),तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
5.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 115/2021

दिनांक : 12.12.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कापराऊ के मौजा ताजाणियों का तला के खेत खसरा सं. 369/296 रकबा 11.18 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1793 to 1796

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थनी पूरोंदेवी
3. विप्रार्थीगण खमीशा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन 0/L

दिनांक 12/12/2021



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन